अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

शपथ-पत्र-सह-वचन-पत्र

(Affidavit-cum-Undertaking)

(भवन अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा अनुपालन विषयक)

1. शपथकर्ता का विवरण

मैं, ...

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

निवासी .....

प्रतिष्ठान/भवन में निम्नलिखित हैसियत से सम्बद्ध हूँ (उपयुक्त पर चिन्ह लगाएँ):

☐ स्वामी (Owner) ☐ संचालक/प्रबंधक (Operator/Manager) ☐ अधिकृत प्रतिनिधि

भवन/प्रतिष्ठान की श्रेणी (उपयुक्त पर चिन्ह लगाएँ):

☐ होटल / गेस्ट हाउस ☐ रेस्तराँ / ढाबा ☐ कोचिंग / शैक्षणिक संस्था ☐ जिम / फिटनेस सेंटर

☐ क्लब / बैंक्वेट हॉल ☐ नर्सिंग होम / क्लिनिक ☐ अन्य: _____

2. भवन का विवरण

भवन/प्रतिष्ठान का नाम .....

पूर्ण पता / प्लॉट सं. / खसरा सं. .....

कुल भूखण्ड क्षेत्रफल: _____ वर्ग मी. कुल निर्मित क्षेत्रफल: _____ वर्ग मी.

भवन की ऊँचाई: _____ मीटर कुल मंजिलों की संख्या: _____

स्वीकृत मानचित्र/नक्शा संख्या एवं दिनांक .....

3. शपथपूर्वक कथन

मैं उपरोक्त प्रतिष्ठान का स्वामी/संचालक होने की हैसियत से ईश्वर की शपथ लेकर सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:

1. यह कि उपरोक्त भवन/प्रतिष्ठान का स्वामित्व एवं विवरण उपर्युक्त बिंदु सं0 2 में यथावर्णित सही एवं सत्य है।

2. यह कि उक्त भवन/प्रतिष्ठान UP अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 की धारा 26(3) तथा UP अग्निशमन नियमावली, 2024 के नियम 42 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी में आता है (उपयुक्त पर चिन्ह लगाएँ):

☐ Fire NOC अनिवार्य श्रेणी में आता है – Fire NOC संख्या _____ दिनांक _____ संलग्न है।

☐ Fire NOC से छूट प्राप्त श्रेणी में आता है (ऊँचाई/क्षेत्रफल सीमा के भीतर होने के कारण)।

3. यह कि उक्त भवन का निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किया गया है तथा किसी भी प्रकार का अनधिकृत/अतिरिक्त निर्माण नहीं किया गया है।

4. यह कि भवन/भूमि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य हेतु ही किया जा रहा है, तथा किसी भी उपयोग परिवर्तन (Change of Use) से पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण से समुचित पूर्व अनुमति ली जा चुकी है/ली जाएगी।

5. यह कि आवासीय भवन होने की दशा में, भवन में कोई व्यावसायिक गतिविधि (यथा कोचिंग, दुकान, कार्यालय आदि) संचालित नहीं की जा रही है, अन्यथा तत्संबंधी पृथक अनुमति एवं NOC प्राप्त कर ली गई है/ली जाएगी।

6. यह कि वाहन पार्किंग हेतु निर्मित बेसमेंट में कोई कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय अथवा अन्य वर्जित गतिविधि संचालित नहीं की जा रही है।

7. यह कि प्रतिष्ठान में प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग मार्ग उपलब्ध हैं तथा नियमानुसार प्राप्त Fire NOC (यदि लागू हो) भवन परिसर में समुचित ढंग से प्रदर्शित की गई है/करी जाएगी।

8. यह कि भवन/प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युत सुरक्षा से संबंधित संलग्नक-1 में उल्लिखित 30-बिंदु जाँच-सूची का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है तथा उसमें अंकित समस्त सूचनाएँ सत्य एवं सही हैं।

9. यह कि विद्युत भार (Load) का प्रयोग स्वीकृत विद्युत संयोजन के अनुरूप ही किया जा रहा है।

10. यह कि इस शपथ-पत्र के साथ पंजीकृत वास्तुकार/संरचनात्मक अभियंता का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें भवन की संरचनात्मक एवं अग्नि सुरक्षा स्थिरता प्रमाणित की गई है।

11. यह कि भवन/प्रतिष्ठान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों/स्टाफ को अग्नि निकासी संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है तथा नियमित अग्नि अभ्यास (Fire Drill) आयोजित किया जाता है।

12. यह कि भविष्य में उक्त भवन/प्रतिष्ठान से संबंधित अग्नि सुरक्षा एवं विद्युत सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार का ह्रास अथवा उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा, तथा समय-समय पर आवश्यक नवीनीकरण एवं अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

13. यह कि यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर उक्त शपथ-पत्र में वर्णित कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, अथवा प्रतिष्ठान में अग्नि/विद्युत सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है, तो अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं संबंधित विभागों द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी अथवा समस्त कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी, जिसमें कोई आपत्ति नहीं होगी:

(क) परिसर की सीलिंग (UP नगर नियोजन अधिनियम 1973, धारा 27)।

(ख) अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण, जिसका व्यय स्वयं वहन किया जाएगा (ADA भवन उपविधि 2025)।

(ग) FIR दर्ज करना, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं आपराधिक अभियोजन (UP अग्निशमन अधिनियम 2022, धारा 14 एवं 22; BNS 2023, धारा 106; Electricity Act 2003, धारा 138)।

(घ) GST पंजीकरण का निलंबन/रद्दीकरण (CGST अधिनियम 2017, धारा 29-30)।

(ङ) विद्युत संयोजन विच्छेदन (DVVNL/UPPCL) तथा ट्रेड लाइसेंस निरस्तीकरण।

(च) दुर्घटना की स्थिति में मृतक/घायल के परिवार को क्षतिपूर्ति दायित्व तथा 2 वर्ष तक के कारावास सहित दण्ड।

14. यह कि उपरोक्त प्रपत्र/नियमावली के बिन्दु संख्या 1 से 13 तक उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन यदि नहीं किया गया तो मैं शपथपूर्वक यह वचन देता/देती हूँ कि उक्त समस्त नियमों एवं शर्तों का अनुपालन इस शपथ-पत्र देने की तिथि से आगामी 30 (तीस) दिवस के भीतर पूर्ण कर दूँगा/दूँगी। यदि निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

15. अतः उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के दृष्टिगत मेरे सील किए गए प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मैं यह आश्वासन देता/देती हूँ कि भविष्य में प्राधिकरण के समस्त नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

4. सत्यापन (Verification)

मैं, उपरोक्त शपथकर्ता, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा 1 से 15 में वर्णित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास पर आधारित सत्य एवं सही हैं तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया गया है।

स्थान: _____

दिनांक: _____

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम एवं मोहर सहित

नोटरी सत्यापन (Notary Attestation)

उपरोक्त शपथ-पत्र मेरे समक्ष दिनांक _____ को शपथकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया गया।

नोटरी का नाम, पंजीयन संख्या, मोहर एवं हस्ताक्षर: _____

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

संलग्नक-1

अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा 30-बिंदु जाँच-सूची

(शपथ-पत्र का अभिन्न अंग – प्रत्येक बिंदु पर "हाँ" अथवा "नहीं" अंकित करना अनिवार्य है। अयोध्या विकास प्राधिकरण/अग्निशमन विभाग द्वारा किसी भी समय स्थलीय जाँच की जा सकती है।)

क्र.सं.	जाँच-बिंदु का विवरण	हाँ / नहीं	टिप्पणी
(क) निकास मार्ग एवं सीढ़ियाँ			
1	भवन में प्रवेश/निकास हेतु अलग-अलग मार्ग उपलब्ध हैं।		
2	15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में न्यूनतम दो स्वतंत्र निकास सीढ़ियाँ उपलब्ध हैं।		
3	निकास द्वार बाहर की ओर खुलते हैं तथा अंदर से बिना चाबी खुलते हैं।		
4	सीढ़ी/निकास मार्ग में कोई सामान, फर्नीचर या बेंच नहीं रखा गया है।		
(ख) अग्नि संसूचन एवं दमन			
5	प्रत्येक मंजिल पर स्मोक/हीट डिटेक्टर स्थापित एवं कार्यरत है (NBC भाग-4, खंड 4.2)।		
6	प्रत्येक 200 वर्ग मी. क्षेत्रफल पर एक वैध अग्निशामक यंत्र (CO_2/ड्राई पाउडर) उपलब्ध है।		
7	जहाँ लागू हो, वहाँ 25,000 लीटर क्षमता की अग्निशमन जल टंकी उपलब्ध है।		
8	सभी अग्निशामक यंत्रों की वैधता (मियाद) की जाँच की गई है तथा वे समाप्त नहीं हुए हैं।		
9	स्प्रिंकलर सिस्टम (जहाँ अनिवार्य हो) कार्यशील स्थिति में है।		
(ग) LPG / जनरेटर / HVAC			
10	LPG सिलेंडर केवल हवादार एवं निर्धारित स्थान पर रखे गए हैं।		
11	LPG सिलेंडर सीढ़ी के नीचे अथवा बेसमेंट में नहीं रखे गए हैं।		
12	जनरेटर सुरक्षित एवं पृथक स्थान पर, निर्धारित मानकों के अनुसार स्थापित है।		
13	HVAC उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप स्थापित एवं अनुरक्षित हैं।		
(घ) संकेत एवं आपातकालीन तैयारी			
14	सभी मंजिलों पर EXIT संकेत एवं आपातकालीन प्रकाश (बैटरी बैकअप सहित) उपलब्ध हैं।		
15	प्रत्येक मंजिल पर निकासी आरेख (Evacuation Plan) प्रदर्शित है।		
16	भवन के बाहर अग्नि सभा-स्थल (Assembly Point) स्पष्ट रूप से चिन्हित है।		
17	मासिक/छमाही अग्नि अभ्यास (Fire Drill) आयोजित किया जाता है तथा रिकॉर्ड संधारित है।		
18	प्रत्येक 20 व्यक्तियों/बच्चों पर एक प्रशिक्षित वयस्क निकासी हेतु उत्तरदायी नामित है (जहाँ लागू हो)।		

(ङ) वायरिंग एवं भार प्रबंधन			
19	सम्पूर्ण वायरिंग ISI-अंकित/BIS-प्रमाणित तार एवं फिटिंग से की गई है।		
20	वायरिंग PVC/धातु कंड्यूट में छिपाकर की गई है; कोई खुली तार नहीं है।		
21	विद्युत उपकरण स्वीकृत भार (Load) की सीमा के भीतर प्रयोग किए जा रहे हैं।		
(च) MCB / ELCB / स्विचगियर			
22	प्रत्येक सर्किट पर उचित रेटिंग का MCB स्थापित है।		
23	मुख्य आपूर्ति पर ELCB/RCCB स्थापित है।		
24	वितरण बोर्ड ताला-बंद है, लेबल युक्त है तथा केवल अधिकृत व्यक्तियों की पहुँच में है।		
(छ) AC एवं उच्च-भार उपकरण			
25	AC एवं अन्य उच्च-भार उपकरणों हेतु पृथक-पृथक सर्किट उपलब्ध हैं।		
26	स्थायी वायरिंग के स्थान पर मल्टी-प्लग अडाप्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।		
27	AC एवं उच्च-भार उपकरणों की वार्षिक सर्विसिंग की जाती है तथा रिकॉर्ड संधारित है।		
(ज) निरीक्षण एवं प्रमाणन			
28	प्रतिष्ठान में उचित अर्थिंग (Earthing) की व्यवस्था है।		
29	अधिभोग से पूर्व लाइसेंसी विद्युत निरीक्षक का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है।		
30	वार्षिक विद्युत ऑडिट एवं सर्विसिंग रिकॉर्ड पर्याप्त रूप से संधारित है तथा प्रमाण-पत्र परिसर में उपलब्ध है।		

उपरोक्त जाँच-सूची का सत्यापन शपथकर्ता एवं संलग्न वास्तुकार/अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर: _____ वास्तुकार/अभियंता के हस्ताक्षर एवं पंजीयन सं0: _____